

फा.1/13(3)/2021-भर्ती-II

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-II अनुभाग

पद का नाम	केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय में वैज्ञानिक 'बी' (दस्तावेज) के पद के लिए दो रिक्तियां (अनारक्षित-01 तथा अ.पि.व.-01)।
विज्ञापन सं.	01/2022
रिक्ति सं.	22010107208

अनिवार्य योग्यताएं और अनुभव	<p>अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.) :</p> <p>(क) शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या भौतिकी के साथ रसायन विज्ञान/ परीक्षा द्वारा एआईसी/भौतिकी/ न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <p>(ख) अनुभव : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अंतर्गत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में दस्तावेजों के परीक्षण के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धतियों तथा उनमें अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय योग्यता:</p> <p>न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव।</p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अपनाए गए मानदंड	i. संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है। पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना / किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।</p> <p>ii. आवेदनों की संवीक्षा पूर्ण रूप से प्रश्नगत पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।</p> <p>iii. उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए कुल अनुभव पर विचार किया गया, यदि इसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण-पत्र लगाए गए हैं।</p> <p>iv. यदि भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुभव संगत क्षेत्र में नहीं है या परिकल्पित संगत अनुभव भर्ती नियमों में निर्धारित अनिवार्य अवधि से कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू.-ख" के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया है। आवेदक, जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन जो अनुभव प्रमाण-पत्र इसके समर्थन में लगाए हैं वे दावा किए गए अनुभव का समर्थन नहीं करते, ऐसे आवेदनों को भी "एलईक्यू.-ख" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>v. जिन उम्मीदवारों के पास संगत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें "एलईक्यू क" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>vi. उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र, अपलोड करना या उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः, जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड/प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके आवेदनों को "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्रों पर भी जिसमें कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट विवरण नहीं है, विचार नहीं किया गया है तथा "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार, इन आवेदकों के आवेदनों को भी "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>vii. जिन उम्मीदवारों ने न तो मार्कशीट जमा किया है और न ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री जमा की है, उनके आवेदनों को "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>viii. शिक्षण अनुभव को प्रासंगिक नहीं माना गया है।</p> <p>ix. नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण-पत्र, पंजीकरण पत्र, कार्यमुक्ति आदेशों, वेतन प्रमाण-पत्र तथा स्वरोजगार प्रमाण पत्रों को अनुभव के प्रमाण के तौर पर विचार नहीं किया गया है। 'इंटर्न' के अनुभव को भी संगत अनुभव के तौर पर नहीं माना गया है।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>x. अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग के दिनांक 23/12/2010 के परिपत्र सं. एफ. 8/84/2010-भर्ती(स. एवं नी) की शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। तथापि, जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके अनुभव प्रमाण-पत्रों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनका अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित अनुभव प्रमाण-पत्र के विवरणों को पूरा करते हों।</p> <p>xi. कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	<p><u>एक अनारक्षित पद के लिए</u> : अ.यो.-(क) + अ.यो.-(ख) बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।</p> <p><u>एक अ.पि.व. पद के लिए</u> : अ.यो.-(क) + अ.यो.-(ख)</p>
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 293 (अ.ज.जा.-04, अ.जा.-29, अ.पि.व.-123, ईडब्ल्यूएस-02, सामान्य-135) आवेदन प्राप्त हुए थे। अनारक्षित श्रेणी के तहत अ.ज.जा., अ.जा. और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित आवेदनों पर विचार किया गया है। उपरोक्त मानदंडों को अपनाने से, 215 आवेदन (अ.पि.व.-123 और अनारक्षित-92) जांच के लिए विचार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शेष 78 आवेदनों को एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिए गए हैं।

01 (अनारक्षित) पद के लिए समीक्षा :

मानदंड :- अ.यो.-(क) + अ.यो.-(ख) बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

विचाराधीन क्षेत्र के तहत आवेदकों की कुल संख्या: 92

साक्षात्कार के लिए बुलाए गए :

अनुक्रमांक :-

47	58	82	83	88	89
99	109	120	124	142	145
164					

(13 उम्मीदवार)



अस्वीकृत :-

एलईक्यू-क (आवश्यक शैक्षिक योग्यता का अभाव) :

अनुक्रमांक :-

6	11	16	19	51	62	77
84	97	114				

(10 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख (अनिवार्य अनुभव की कमी) : विचाराधीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार और अनुभव या प्रासंगिक अनुभव यथापरिकल्पित उनका आवश्यक मानदंडों से कम:

अनुक्रमांक :

3	4	7	8	22	24	25
29	32	33	34	37	39	48
53	55	61	63	64	65	66
68	70	74	78	79	80	81
86	92	96	98	105	107	111
115	116	118	119	121	126	127
130	136	137	138	144	146	148
153	155	158	159	160	161	162
163	166	167	169			

(60 उम्मीदवार)

अपूर्ण :-

कोई अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं / अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न / अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य की प्रकृति (एनओडी) का उल्लेख नहीं / अनुभव प्रमाण-पत्र में स्पष्टतः तिथि का उल्लेख नहीं / ओआरए में दावा किए गए संपूर्ण अनुभव का प्रमाण नहीं / शैक्षिक गुणवर्ता के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

अनुक्रमांक :-

21	31	46	75	101	102	135
----	----	----	----	-----	-----	-----

(7 उम्मीदवार)

अधिक आयु

अनुक्रमांक :-

36	50
----	----

(02 उम्मीदवार)

01 (अ.पि.व.) पद के लिए समीक्षा :

मानदंड :- अ.यो.-(क) + अ.यो.-(ख)

विचाराधीन क्षेत्र के तहत आवेदकों की कुल संख्या: 123

साक्षात्कार के लिए बुलाए गए :

अनुक्रमांक :-

196	199	202	211	247
257	291			

(07 उम्मीदवार)

अस्वीकृत :-

एलईक्यू-ए (आवश्यक शैक्षिक योग्यता का अभाव) :

अनुक्रमांक :-

190	191	216	217	218	224	236
239	240	268	283	289		

(12 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख (अनिवार्य अनुभव की कमी) : विचाराधीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार और गणना के अनुसार आवश्यक मानदंडों से कम अनुभव या प्रासंगिक अनुभव :

अनुक्रमांक :

176	178	179	180	181	182	184
185	186	189	192	193	197	198
201	203	206	207	208	209	212
213	214	220	222	223	225	226
227	228	229	230	231	232	234
235	237	238	241	242	244	245
246	248	249	250	251	252	253
254	255	256	258	259	260	261
262	263	265	267	269	270	271
272	273	274	276	277	278	279
280	281	282	284	286	287	288
292						

(78 उम्मीदवार)

अपूर्ण :-

कोई अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है / अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न / अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य की प्रकृति (एनओडी) का उल्लेख नहीं / अनुभव प्रमाण-पत्र में स्पष्टतः तिथि का उल्लेख नहीं / ओआरए में दावा किए गए संपूर्ण अनुभव का प्रमाण नहीं / शैक्षिक योग्यता के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

अनुक्रमांक :-

171	172	173	174	175	177	183
187	188	194	195	200	204	205
210	215	219	221	233	243	266
264	275	285	290	293		

(26 उम्मीदवार)

शेष 78 आवेदन विचार क्षेत्र से बाहर किए गए हैं, क्योंकि दावा किया गया कुल अनुभव, बढ़ाए गए अनुभव से कम है, अतः इन्हें एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) के तहत अस्वीकार किया गया है।

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. वे उम्मीदवार जो इस पद के साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और कार्यप्रणाली के अनुसार अपने आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यावेदन करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक **04.01.2023** तक उचित आधार / कारणों के साथ अभ्यावेदन (sort2.upsc@nic.in) पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के पश्चात प्राप्त मेल खोली नहीं जाएंगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधार / कारण अपनाए गए मानदंडों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। हालांकि, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इसकी जांच की जाएगी। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।
2. उन सभी उम्मीदवारों की सूची, जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था, उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पर नीचे दिए गए पाथ पर अपलोड कर का दिया गया है।

'Home>>Recruitment>>Status of Recruitment Cases (Advertisement-wise) >> Applicants' Lists

उप सचिव (भर्ती- II)
संघ लोक सेवा आयोग

